

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
08 / 2024

दायर दिनांक  
10.01.2024

निर्णय दिनांक  
30.05.2024

## अनवान

1. किशोर पिता भोला जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. प्यारा पिता भोला जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

## प्रार्थीगण

## बनाम

1. डालु पिता परथु जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोडा पिता कालु जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कालु पिता उदा जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।(विलोपित)
4. अयुब खान पिता मुनीर खां मुसलमान आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।(विलोपित)
5. नारायण पिता देवा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. कालु पिता रूपा जाति लोदा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. भेरु पिता किशना जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. लक्ष्मणदास पिता हीरादास जाति वैरागी आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मिटु पिता शंकर जाति नायक आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. उकार पिता शंकर जाति नायक आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. रतनलाल पिता शंकर जाति नायक आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. नाथु खां पिता शंकर खां आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. शोभालाल पिता परथु जाति बैरवा आयु वयस्क निवासी रामथली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



सत्यमेव जयते

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री मांगीलाल बैरवा  
एकतरफा

अप्रार्थीगण  
प्रार्थीगण



—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा

रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1251, 1275, 1349, 414, 415, 416, 417, 498, 531, 532, 533, 536, 593, 594, 595, 596, 600, 608, 609, 614, 615, 616, 617, 620, 622 कुल किता 25 कुल रकबा 6.57 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 40 के आराजी नम्बर 1272, 1273, 1274, 538, 539, 607 कुल किता 06 कुल रकबा 1.10 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 5 से 13 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजीयात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा रामथली पटवार हल्का रूदडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1251, 1275, 1349, 414, 415, 416, 417, 498, 531, 532, 533, 536, 593, 594, 595, 596, 600, 608, 609, 614, 615, 616, 617, 620, 622 कुल किता 25 कुल रकबा 6.57 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 40 के आराजी नम्बर 1272, 1273, 1274, 538, 539, 607 कुल किता 06 कुल रकबा 1.10 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन